The Gazette of India **41514**

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

108] सं.

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 2012/वैशाख 6, 1934

No. 108

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 2012/VAISAKHA 6, 1934

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अधिसुचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2012

सं. 28-14/2011-एवाई (यूजीआरईजीय्).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्युनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989 के पश्चात् संशोधित विनियम, 2005, 2010 तथा 2011" में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2012 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989 की विद्यमान अनुसूची-1 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुसूची-1

1. उद्देश्य एवं प्रयोजन

आयुर्वेद की स्नातक शिक्षा का उदुदेश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रगति के ज्ञान सहित अष्टांग आयुर्वेद का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातक तैयार करना होगा जो कि स्वास्थ्य-सेवा कार्य करने में पूर्णतः सक्षम एवं दक्ष काय-चिकित्सक एवं शल्य-चिकित्सक होगें।

2. प्रवेशाईता :-

विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई

अन्य समकक्ष परीक्षा बशर्ते कि अभ्यर्थी ने मौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में 50% समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो, विदेशी छात्रों के लिए किसी भी अन्य समकक्ष अहंता जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की गई हो की अनुमति दी जायेगी ।

3. पाठुयकम् की अवधि

उपाधि पाठुसकूम 5-1/2 वर्ष जिसमें समाविष्ट है-

क) प्रथम व्यावसायिक	-	12 माह
ख) द्वितीय व्यावसायिक	-	12 माह
ग) तृतीय व्यावसायिक	-	12 माह
घ) अंतिम व्यावसायिक	-	18 माह

ड़) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश - 12 माह

4. प्रदान की जाने वाली उपाधि

आयुर्वेदाचार्य (बैचर्लर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.ए.एम.एस.)

अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने के पश्चात् अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.ए.एम.एस.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

5. शिक्षा का मांध्यम

`संस्कृत, हिन्दी, कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी।

6.1 प्रथम व्यावसायिक परीक्षा :-

- i) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर होगी। प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रोरम्भ होगा।
- ii) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी:-
 - 1. पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास
 - 2. संस्कृत
 - 3. क्रिया शारीर (फिजियोलॉजी)
 - 4. रचना शारीर (एनाटमी)
 - 5. मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय (सूत्र स्थान)
- iii) दो से अनिधक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्कम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा तथापि जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नही होगी।

6.2 द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा :-

- i) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया द्वितीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।
- ii) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी:-
 - 1. द्रव्यगुण विज्ञान (फार्माकोलोजी एवं मैटिरिया मेडिका)

- 2. रस-शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (फार्मास्यूटिकल्स साईन्स).
- 3. अगद तंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक (टॉक्सीक्लॉजी एवं मेडिकल जूरिसप्रडेन्स)

4. चरक-पूर्वार्द्ध

iii) दो से अनिधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र तृतीय व्यावसायिक परीक्षा हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा तथापि जब तक वह छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो ! जाता, तब तक उस छात्र की तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी,।

6.3 तृतीय व्यावसायिक परीक्षा:-

- i) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।
- ii) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी:-
- 1. रोग निदान विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलोजी)
- 2. चरक संहिता-उत्तर्रार्ख
- 3. स्वस्थवृत्त एवं योग (प्रीवेन्टिव एण्ड सोशल मेडीसिन एण्ड योग)
- 4. प्रसृति एवं स्त्रीरोग (ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनकोलाजी)
- 5. बाल रोग (पीडिएट्रिक्स)
- iii) दो से अनिधक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र अंतिम व्यावसायिक परीक्षा हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगां तथापि जब तक वह छात्र तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

6.4 अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा :-

i) अंतिम व्यावसायिक सत्र 1½ वर्ष की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा।

अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के 1 ½ वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

ii) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होगें :-

1. शल्य तंत्र (जनरल सर्जरी)

- 2. शालाक्य तंत्र (डिसीज ऑफ हैड एण्ड नैक ओप्थलमोलॉजी, ई.एन.टी. एण्ड डेन्टिस्ट्री को समाविष्ट करते हुए)
- 3. कायचिकित्सा(इन्टर्नल मेडीसिन-मानस रोग, रासायन एण्ड वाजीकरण को समाविष्ट करते हुए)
- 4. पंचकर्म
- 5. शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी

7. अनिवार्य विशिखानुप्रवेश

छात्र अंतिम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सिम्मिलित होगा। विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम अंतिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रारम्भ होगा। विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी।

विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम एवं समय का विभाजन निम्नवत् होगाः-

- 1. प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रमुळ के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुरितका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा जिनका उत्तरदायित्व वह लेगा।
- 2. प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड /परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।
- 3. प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नही होगा।
- 4. सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी.एच.सी./सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/स्विवल अस्पताल अथवा आयुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा।
- अ. महाविद्यालय से संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा :-

विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
1. कार्यचिकित्सा	2 माह	4 माह
2. शल्य	1 माह	2 माह
3. शालाक्य	1 माह	2 माह
4. प्रसूति एवं स्त्रीरोग	1 माह	2 माह
5. कौमार भृत्य	15 दिन	1 माह
6. पंचकर्म	15 दिन	1 माह

- ब. प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-
- क. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- ख. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र /जिला अस्पताल
- ग. आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल
- घ. किसी आयुर्वेद अस्पताल अथवा औषधालय

उपर्युक्त सभी केन्द्रो (क, ख, ग तथा घ) को ऐसे प्रशिक्षण लेने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी अभिहित प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त होना होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

अ, महाविद्यालय के साथ संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में 06/12 माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश। प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

1. कार्याचिकित्सा अवधि : 2 माह/ 4 माह

- i- सभी नैत्यक कार्य जैसे रूग्ण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन।
- गा- नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमाग्लोबिन का आंकलन, हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्ठीवन परीक्षण एवं मल परीक्षा आदि। आयुर्वेद पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जाँच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना।
- iii- नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।

2. <u>पंचकर्म</u>

अवधिः 15 दिन/1 माह

पूर्व कर्म, प्रधान कर्म तथा पश्चात् कर्म संबंधी पंचकर्म प्रक्रिया तथा तकनीक।

3. शल्य

अवधि :1माह/2 माह

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये:-

- आयूर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
- ii. अवश्यंभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन।
- iii. सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण।
- ग्रिशिशु को पूर्व शल्यिक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यिक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये।
- v. संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग।
- vi. विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रिक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि।
- vii. शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :
 - i. ताजा कटे/घाव को टांका लगाना
 - ii. घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी
 - iii. फोड़े का चीरा
 - iv. रसौली का उच्छेदन
 - v. शिराशल्यक्रिया इत्यादि
 - vi. गुदा रोगों में क्षार-सूत्र का अनुप्रयोग

4. शालाक्य

अवधिः <u>1 माह/2 माह</u>

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- क) आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
- खं) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यिकया कर्म तथा पश्चात् शल्यिकया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये। !प 7प GI /12-2

- ग) कान, नाक, कंठ, दंत, नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रक्रिया।
- घ) नेत्र, कान, नाक, कंठ, दृष्टि दोष आदि की तत्सम्बन्धित उपकरणों से बहिरंग विभाग में जॉच।
- ड़) ओ.पी.डी. स्तर पर प्रक्रियाएं, जैसे:- अंजन कर्म, नस्य, रक्तमोक्षण, कर्णपूरण, शिरोधारा, पुट पाक, कवल, गण्डूष इत्यादि।

प्रस्ति एवं स्त्रीरोग

अवधिः 1 माह/2 माह

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- क) प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याऐं तथा उनका उपचार, प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल।
- ख) सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबंधन।
- ग) लघु तथा दीर्घ प्रासिवक शल्य प्रक्रियाऐँ इत्यादि।

6. बाल रोग

अवधिः 15 दिन/1 माह

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये-

- क) आयुर्वेदिक सिद्धान्तों तथा चिकित्सा के द्वारा भी प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएँ तथा उनका उपचार प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर अनुरक्षण।
- ख) प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर आपातकाल।
- ग) टीकाकरण योजना के साथ नवजात शिशु की देखभाल।
- घ) महत्वपूर्ण कौमार भृत्य सम्बन्धी समस्याऐं तथा उनका आयुर्वेदिक प्रबंधन।

ब. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण अस्पताल/ जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल; आधुनिक चिकित्सा के किसी अस्पताल, किसी आयुर्वेद अस्पताल अथवा औषणालय में छः माह का विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशा निर्देश।

प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिये-

- i. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण।
- प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होंना चाहियें तथा इस अविध में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहियें।
- आ. उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिये तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं /कार्यक्रम में सिक्केय रूप से भाग लेना चाहिये।
- iv. उन्हें राज्य /जिला सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सिक्कय रूप से भाग लेना चाहियें।

स. आधुनिक चिकित्सा के फिसी मान्यताप्राप्त अस्पताल का आपातकाल विभाग

हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान तथा उनका प्राथमिक उपचार। साथ ही ऐसे मामलों को संबंधित अस्पताल के पास भेजने की प्रक्रिया भी।

द. ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय/अस्पताल

ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रोग तथा उनका प्रबन्धन।

ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य अनुरक्षण विधि का शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी।

<u> ८. मूल्यांकन</u>

विभिन्न विभागों में उन्हें आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ट कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

9. विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरणः दो भिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमित से होगा। यदि स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय से महाविद्यालय का है परन्तु विश्वविद्यालय वही है तो मात्र दोनो महाविद्यालयों की सहमित की आवश्यकता होगी। यथास्थिति संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापित्त प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

<u>परीक्षाः</u>

- i- सिद्धान्तं परीक्षा में अधिकतम 40% तक के अंको के न्यूनतम 20% लघुत्तरीय प्रश्न तथा अधिकतम 60% तक के अंको के न्यूनतम 4 व्याख्यात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विषय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।
- ii- विषय में 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।
- m- परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में पृथक-पृथक न्यूनतम 50% अंक आवश्यक होंगे।
- iv- पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।
- परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक कक्षा में छात्र की न्यूनतम 75% उपस्थित अनिवार्य होगी। इस संबंध में विभिन्न विषयों के लिये प्रत्येक छात्र हेतु एक कक्षा उपस्थित कार्ड का अनुरक्षण किया जायेगा। प्रधानाचार्य प्रत्येक व्याख्यान तथा प्रयोगात्मक शिक्षण की अवधि की समाप्ति पर छात्रों तथा शिक्षकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा तथा प्रत्येक परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व अंतिम समापन हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष को कार्ड भेजेगा।
- vi- यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। ऐसे मामलों में नियमित परीक्षा में उसकी अनुपिस्थित एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेगें तथा अध्ययन की आवश्यक अविध के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होगें।

vii-विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगा:-

- उपस्थिति में नियमितता
- ii. आवधिक परीक्षा
- प्रयोगात्मक पुस्तिका

स्थानान्तरणः छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमित दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्याविध स्थानान्तरण की अनुमित नहीं दी जायेगी। स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमित प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चित व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापित्त प्रमाण-पंत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

11.1 प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त /क्रियात्मक के लिये अंक

							- 1
विषय का नाम	शिक्षण के घण्टों की संख्या			अधिकतम अंव			
	सिद्धान्त	कियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्त	कियात्म क	कुल
प्रथम व्यावसायिक		<u> </u>				1	
1. पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद	100		100	दो .	200		100
का इतिहास							
2. संस्कृत	200		200	एक	100		100
3. किया शारीर	200	200	400	दो	200	100	300
4. रचना शारीर	300	200	500	दो	200	100	300
5. मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग	150		150	एक	100		100
हृदय (सूत्र स्थान)	<u> </u>			<u> </u>	!	l	L
द्वितीय व्यावसायिक			1 400		1 222	1 000	
1. द्रव्यगुण विज्ञान	200	200	400	दो	200	200	400
 अगदतंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक 	200	100	300	एक	100	50	150
 रसशास्त्र भैषज्य कल्पना 	200	200	400	दो	200	200	400
माग- 1							
 चरक संहिता (पूर्वार्छ) 	200		200	एक	100		100
तृतीय व्यावसायिक	<u> </u>				<u>. </u>		
 रोग विज्ञान व विकृति विज्ञान 	200	100	300	दो (1-पैयोलोजी, 1-आयुर्वेद)	200	100	300
2. स्वस्थवृत्त एवं योग	200	100	300	दो	200	100	300
3. प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग	200	100	300	दो	200	100	300
4. बालरोग	100	100	200	एक	100	50	150
चरक संहिता (उत्तरार्छ)	200		200	एक	100		100
अन्तिम व्यावसायिक						• •	•
1. काय चिकित्सा	300	200	500	दो	200	100	300
2. पंचकर्म	100	200	300	एक	100	50	150
3. शल्य तंत्र	200	150	350	दो	200	100	300
4. शालाक्य तंत्र	200	150	350	दो	200	100	300
 शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी 	50		50	एक	50		50

टिप्पणी : सिद्धान्त तथा क्रियात्मक की अवधि 60 मिनट (एक घण्टा) से कम नही होगी। चिकित्सीय विषयों तथा रचना शारीर (शव विच्छेदन) के क्रियात्मक की अवधि कम से कम 120 मिनट (दो घण्टे) की होगी।

- 11.2 छात्रों का नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण तृतीय वर्ष के आगे प्रारम्भ होगा।
- 11.3 महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय में छात्रों का नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् होगा:~

i) कायचिकित्सा (अन्तः एवं बाह्य)	18 माह
क) कायचिकित्सा (सामान्य)	06 माह
ख) मानस रोग	03 माह
ग) रसायन एवं वाजीकरण	03 माह
घ) पंचकर्म	03 माह
ड़) रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान	03 माह
ii) शल्य (अन्तः एवं बाह्य)	9 माह
क) शल्य (सामान्य)	03 माह (शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
ख) शल्य (क्षार एवं अनुशस्त्र कर्म)	03 माह (शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
ग) क्षार सूत्र	02 माह '
घ) संज्ञाहरण	15 दिन
ड़) विकिरण-चिकित्सा विज्ञान	15 दिन
iii) शालाक्य तंत्र (अन्तः एवं बाह्य)	04 माह (शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग	03 माह (बाह्य एवं अन्तः)
v) कौमार भृत्य (बाह्य एवं अन्तः)	01 माह
vi) आत्ययिक (हताहत)	02 माह

12 स्नातकीय शिक्षकों हेतु शिक्षण स्टॉफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभवः

(सीधे भर्ती हेतु लागू परन्तु आयु सीमा में छूट पदोन्नति के मामले में होगी।)

i) अनिवार्य

- क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा के सांविधिक मण्डल /संकाय/परीक्षा निकाय से आयुर्वेद में उपाधि या उसके समकक्ष जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में समाविष्ट/मान्य हों।
- ख) विषय/संबंधित विशेष विषय में स्नातकोत्तर अर्हता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट/मान्य हों।

अनुभवः

क. <u>प्राध्यापक के पद के लिये</u>: सम्बन्धित विषय में कुल 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक है जिसमें से प्रवाचक /सहायक प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिये। 1474 67/12-3

- ख. <u>सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद के लियेः</u> संबंधित विषय में कुल 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। प्रवाचक को सह-आचार्य के रूप में माना जायेगा।
- ग. सहायक-आचार्य(व्याख्याता) के पद के लियेः
 (आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं)
 कोई अध्यापन अनुभव आवश्यक नहीं है। व्याख्याता को सहायक-आचार्य के रूप में माना जायेगा।
- घ. संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक) के पद के लिए अर्हताः प्रध्यापक पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव इन पदों के लिए अनिवार्य होगा।

टिप्पणीः सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारक अभ्यर्थी के अभाव में निम्नलिखित विषयों के अभ्यर्थी जैसा कि उनके सामने उल्लिखित है, व्याख्याता/सहायक-आचार्य के पद हेतु पात्र होंगे:-

आवश्यक विशेष विषय	समवर्गी विषय का नाम
1. स्वस्थवृत्त	1. कायचिकित्सा
2. अगदतंत्र	2. द्रव्यगुण/रसशास्त्र
3. रोग विज्ञान	3. कार्यचिकित्सा
4. रचना शरीर	4. शल्य
5. क्रिया शरीर	5. संहिता सिद्धान्त
6. शालाक्य	6. शल्य
7. पंचकर्म	7. कायचिकित्सा
8. बालरोग	 प्रसूति एवं स्त्रीरोग/कायचिकित्सा
9. कायचिकित्सा	9. मानस रोग
10.शल्य	10.निश्चेतन एवं क्ष-िकरण

- क. समवर्गी विषय के उक्त प्रावधान की अनुमति पाच वर्ष के लिये होगी।
- ख. जिन शिक्षकों को पिछले विनियम के आधार पर पूर्व में पात्र माना गया था उन्हें इन संशोधनों के आधार पर अपात्र नहीं माना जायेगा।
- 13. आयुर्वेद में परीक्षक की नियुक्ति:-

संबंधित विषय में न्यूनतम आठ वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले नियमित/सेवानिवृत्त अध्यापक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा।

प्रेमराज शर्मा, निबंधक-सह-सचिव [विज्ञापन]]]/4/124/12/असा.]

टिप्पणी : भारत सरकार द्वारा पत्रांक वी. 12013/22/2011-ई.पी. (आई.एम.-2) दिनांक 5-3-2012 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है ।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2012

No. 28-14/2011-Ay (UG Regu).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989, subsequently 2005, 2010 and 2011", namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2012.
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989 for the existing Schedule I, the following shall be substituted, namely:-

1. AIMS AND OBJECTS

The bachelor of Ayurved education will aim at producing graduates, having profound knowledge of Ashtanga Ayurved supplemented with knowledge of scientific advances in modern medicine along with extensive practical training; who will become efficient physicians and surgeons fully competent to serve the health care services.

2. ADMISSION QUALIFICATION

12th standard with science or any other equivalent examination recognized by concerned State Governments and Education boards, provided the candidate passes the examination with 50% aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology.

For foreign students any other equivalent qualification to be approved by the University will be allowed.

3. **DURATION OF COURSE:**

Degree Course 5-1/2 years, Comprising

a) I Professional -12 months
b) II Professional -12 months
c) III Professional -12 months
d) Final Professional -18 months.
e) Compulsory Rotatry Internship - 12 months

4. **DEGREE TO BE AWARDED**

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery- B.A.M.S).

The candidate shall be awarded Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery- B.A.M.S) degree after passing the final examination, after completion of prescribed course of study extending over; prescribed period and thereafter satisfactorily completing the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

5. MEDIUM OF INSTRUCTION

Sanskrit, Hindi, any recognized regional language or English.

6.1 FIRST PROFESSIONAL EXAMINATION:

- i) The first professional examination shall be at the end of one academic year of First Professional session. The First Professional session will ordinarily start in July.
- ji) The first Professional examination shall be held in the following subjects:-
- 1. Padarth Vigyan avam Ayurved Itihas
- 2. Sanskrit
- 3. Kriya Sharir (Physiology)
- 4. Rachna Sharir (Anatomy)
- 5. Maulik Siddhant avam Ashtang Hridaya (Sutra Sthan).
 - III) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the second professional Course, however he/she will not be allowed to appear for second professional examination unless he/she passes in all the subjects of the first professional.

6.2 SECOND PROFESSIONAL EXAMINATION:

 The Second Professional session shall start every year in the month of July following completion of First Professional examination.

The second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May/June every year after completion of one year of second professional session.

- ii) The Second Professional examination shall be held in the following subjects:-
 - 1. Dravyaguna Vigyan (Pharmacology and Materia Medica)
 - 2. Rasashastra-Bhaishajya Kalpana (Pharmaceutical Science)
 - Agad tantra Vyavhar Ayurved evam Vidhi Vaidyaka (Toxicology and Medical Jurisprudence)
 - 4. Charak-Purvardh
- iii) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the third professional examination, however he/she will not be allowed to appear for third professional examination unless he/she passes in all the subjects of second professional examination.

6.3 THIRD PROFESSIONAL EXAMINATION

(i) The Third Professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional Examination.

The Third Professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of may /June every year after completion of one year of third professional session.

The Third Professional examination shall be held in the following subjects:-

- 1. Roga Nidan Vikriti Vigyan (Pathology & Microbiology)
- 2. Charak Samhita-Uttarardh
- 3. Swastha Vritta & Yoga (Preventive and Social MedicIne & Yoga)
- 4. Prasuti & Striroga (Gynaecology & Obstetrics)
- 5. Bal Roga (Paediatrics)
- iii) A Student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the final professional examination, however he/she will not be allowed to appear for final professional examination unless he/she passes in all the subjects of Third Professional examination.

6.4. FINAL PROFESSIONAL EXAMINATION

i) The final Professional session will be of 1 and ½ year duration and shall start every year in the month of July following completion of Third Professional Examination.

The final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of Oct/Nov every year after completion of one and haif year of final professional session.

- ii) Final Professional examination shall comprise of the following subjects:-
 - 1. Shalya Tantra (General Surgery)
 - 2. Shalakya Tantra (Diseases of Head & Neck including Ophthalmology, ENT and Dentistry)
 - 3. Kayachikitsa (Internai Medicine-including Manas Roga, Rasayan & Vajikarana).
 - 4. Panchakarma
 - 5. Research Methodology & Medical-statistics

7.COMPULSORY INTERNSHIP

Duration of Internship: 1 year

The student will Join the compulsory internship programme after passing the final professional examination. The internship programme will start after the declaration of the result of final professional examination. The period of the internship will be of one year.

Internship Programme and time distribution will be as follows:-

- 1. The interns will receive an orientation regarding programme details of internship programme alongwith the rules and regulations, in an orientation workshop, which will be organized during the first three days of the beginning of internship programme. A workbook will be given to each intern. The intern will enter date wise details of activities undertaken by him/her during his/her training.
- 2. Every intern will provisionally register himself with the concerned State Board/Council and obtain a certificate to this effect before Joining the internship program.
- 3. Daily working hours of intern will be not less than eight hours.
- 4. Normally one year internship programme will be divided into Clinical training of six months in the Ayurvedic hospital attached to the college and six months in PHC / CHC / Rural Hospital/District Hospital/Civil Hospital or any Govt. Hospital of modern medicine. But where there is no provision /permission of the State Government for allowing the graduate of Ayurveda in the hospital/dispensary of Modern Medicine, the one year Internship will be completed in the hospital of Ayurved college.
- A. Clinical Training of six/twelve months as case may be in the Ayurvedic hospital attached to the college will be conducted as follows:-

Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
1. Kayachikitsa	2 Months	4 Months
2. Shalya	1 Month	2 Months
3. Shalakya	1 Month	2 Months
4. Prasuti & Striroga	1 Month	2 Months
5. Kaumarbhritya	15 days	1 Month
6. Panchakarma	15 days	1 Month

- B. Six months training of interns will be carried out with an object to orient and acquaint the intern with National health programme. The intern will have to join in one of the following institutes for undertaking such training.
 - (a) Primary Health Centre
 - (b) Community Health Centre/District Hospital
 - (c) Any hospital of modern medicine.
 - (d) Any Ayurved hospital or Dispensary

All the above centers (a, b, c and d) will have to be recognized by the concerned University and concerned Govt. designated authority for taking such a training.

Oetail Guideline for training programme.

Guidelines for conducting the internship clinical training of 06/12 months in the Ayurvedic Hospital attached to the college.

1474 GI/12-4

The intern will undertake following activities in respective department as shown below:-

1. Kayachikitsa Duration: 2 months/4 months

- i. All routine work such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Ayurvedic Medicine.
- ii. Routine clinical pathological work i.e. Haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination etc.. Mutra evam Mala pariksha by Ayurvedic method. Interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis.
- iii. Training in routine ward procedures and Supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule.

2. Panchakarma - Duration: 15 days/ 1 month

 Panchakarma Procedures and techniques regarding poorva karma, pradhan karma and paschat Karma.

3. Shalya Duration: 1 month/2 months

Intern should be trained to acquaint with

- i. Diagnosis and management of common Surgical disorders according to Ayurvedic Principles.
- ii. Management of certain Surgical emergencies such as fractures and dislocations, Acute Abdomen etc.
- iii. Practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilization etc.
- iv. Intern should be involved in pre-operative and post-operative managements.
- v. Practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs.
- vi. Radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, IVP, Barium meal, sonography etc.
- vii. Surgical procedures and routine ward techniques such as:
 - i. Suturing of fresh injuries
 - ii. Dressing of wounds, burns, ulcers etc.
 - Incision of abscesses.
 - iv. Excision of cysts.
 - v. Venesection etc.
 - vi. Application of Ksharasutra in ano rectal deseases.

4. Shalakya Duration: 1 month/2 months

Intern should be trained to acquaint with

- a) Diagnosis and management of common surgical disorders according to Ayurvedic Principles.
- b) Intern should be involved in Pre-operative and Post-operative managements.
- c) Surgical procedures in Ear, Nose, Throat, Dental problems, ophthalmic problems.
- d) Examinations of Eye, Ear, Nose, Throat and Refractive Error etc. with the supportive instruments in OPD.
- e) Procedures like Anjana Karma, Nasya, Raktamokshan, 'Karnapuran, Shirodhara, Put pak, Kawal, Gandush etc. at OPD level.

5. Prasuti & Striroga Duration:

1 month/ 2 months

Intern should be trained to acquaint with

- a) Antenatal and post-natal problems and their remedies, Antenatal and Post-natal care.
- b) Management of normal and abnormal labours.
- c) Minor and major obstetric surgical procedures etc.

6. Balroga Duration: 15 days/1 month

Intern should be trained to acquaint with

- a) Antenatal and Post-natal problems and their remedies, antenatal and Post-natal care also by Ayurvedic Principles and medicine.
- b) Antenatal and Post-natal emergencies.
- c) Care of new born child alongwith immunization programme.
- d) Important pediatric problems and their Ayurvedic managements.

B. PHC/Rural Hospital/District Hospital/Civil Hospital or any Govt. Hospital of modern medicine.

Guidelines for conducting six months internship training in primary Health Centre, Community Health Centre/District Hospital; Any hospital of modern medicine any Ayurved hospital or Dispensary

Intern should get acquainted with-

- i. Routine of the PHC and maintenance of their records.
- ii. They should be acquainted with the routine working of the medical/non-medical staff of PHC and be always in contact with the staff in this period.
- iii. They should be familiar with work of maintaining the register e.g. daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government health schemes/programme.
- iv. They should participate actively in different National Health Programmes of Government of the State/District.

C. <u>Casualty Section</u> of any recognized hospital of modern medicine.

Identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment. Also procedure for referring such cases to the identified hospitals.

D. Rural Ayurvedic dispensary/Hospital

Diseases more prevalent in rural and remote areas and their management.

Teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes.

8. Assessment

After completing the assignment in various sections, they have to obtain a certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the section concerned and finally submitted to Principal/Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

1474 GI/12-5

9. Migration of Internship: Migration of internship will be only with the consent of the both college & university, in case of migration is between two different universities and colleges. In case migration is only college-to-college but university is not change, only the consent of both the colleges will be required. The migration will be accepted by the University on the production of the character certificate issued by Institute and application forwarded by the college and university with NOC as case may be.

10. EXAMINATION:

- i. Theory examination shall have minimum 20% short answer questions having maximum mark up to 40% & minimum 4 questions for long explanatory answer having maximum marks up to 60%. These Questions shall cover entire syllabus of subject.
- ii. A candidate obtaining 75% marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.
- iii. The minimum marks required for passing the examination shall be 50% in theory and practical separately in each subject.
- iv. The supplementary examination will be held within 6th months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination as the case may be.
- v. Minimum 75% attendance of the student in each subject separately in theory & practical shall be essential for appearing in the examination. In this regard a class attendance card shall be maintained for each student for the different subjects. The Principal shall arrange to obtain the signature of the students, teachers at the end of each course of lectures and practical instructions and send the cards to each Head of the Department for final completion before the commencement of each examination.
- vi. In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he/she will appear in supplementary examination as regular students. In such cases his/her non-appearance in regular examination will not be treated as an attempt. Such students after passing examination will join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion the required period of study.
- vii. The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject:
 - i) Regularity in attendance
 - ii) Periodical tests
 - iii) Practical copy

MIGRATION: The Students may *be allowed to* take the migration to continue his/her study to another college after passing the first year examination. Failed students transfer and midterm migration will not be allowed. For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and universities and will be against the vacant seat after obtaining NOC from CCIM.

11.1 NUMBER OF PAPERS AND MARKS FOR THEORY/PRACTICAL:

Name of the subject Number of hours of teaching			Details of maximum marks				
	Theory	Practical	Total	Number of papers	Theory	Practical	Total
1" Professional			_ '	 _			-
1.Padarth vigyan evam Ayurved ka Itihas	100		100	Two	200		100
2. Sanskrit	290		200	One	100		100
3. Kriya Sharir	200	200	400	Two	200	100	300
4. Rachna Sharir	300	200	500	Two	200	100	300
5.Maulik Siddhant evam Asthanga Hridyaya (Sutra Sthana)	150]	150	One	100		100
2 nd Professional	.7						
1. Oravyaguna Vigyan	200	260	400	Two	200	200	400
2. Agadtantra, vyavhar Ayurved evam Vidhi Valdyak	200	100	300	Опе	100	50	150
3. Rasashastra Evam Bhaishiya Kalpana Part-1	200	200	400	Two	200	200	400
4. Charak Samhita (Purverdh)	200	·	200	One	100		100

1. Roga Vigyan Evam Vikriti Vigyan	200	100	300	Two (01 - Pathology 01- Ayurveda	200	100	300
2. Swastha Vritta & Yoga	200	100	300	Two	200	100	300
3. Prasuti Tantra & Stringa	200	100	300	Two	200	100	300
4. Bairoga	100	100	200	0ne	100	50	150
5. Charak Samhita (Uttarardh)	200	"	200	One	100	77.	100
Final Professional			-				
1. Kayachikitsa	300	200	500	Two	200	100	300
2. Panchkarma	100	200	300	One	100	50	150
3. Shalya Tantra	200	150	350	Two	200	100	300
Shalakya Tantra	200	150	350	Two /	200	100	300
5. Research Methodology & Medical Statistics	50	ale.	50	Опе	50		50

NOTE: The period of theory and practical shall not be less than 60 minutes (one hour). The duration of the practical of clinical subjects and Rachna Sharir (Dissection) shall be of at least 120 minutes (two hours).

- 11.2 Clinical training of the students will start from third year onwards.
- 11.3 The clinical training in the hospital attached with college to the students shall be as follows:-

	i)	<u>Kayachikitsa</u> (Indoor and Outdoor);	18 Months
	a)	Kayachikitsa (Samanya)	06 months
	b)	Manasroga	03 months
i	cί	Rasayan & Vajikaran	03 months
	•	Panchakarma	03 months
	e)	Rog Vigyan Vikruti Vigyan	03 months
	ii)	Shalya (Indoor & Outdoor)	09 Months
	a)	Shalya (Samanya)	03 months (atleast one month in OT)
		Shalya (Kshar & Anushastra Karma)	03 months (atleast one
		nth in OT)	,
	c)	Ksharsutra	2 months
	ď)	Anaesthesia	15 days
	e)	Radiology	15 days
	-,		, -
	iii)	Shalakya Tantra (Indoor & Outdoor)	04 months (atleast one month in OT)
	iνì	Prasuti Tantra Avam Striroga	03 months (Out door & indoor)
	""	Tabati tatiga Avan Strings	os months (out assi a massi)
	v)	Kaumar Bhritya (Out door & indoor)	01 month
			00
vi)	Atyayik (casualty)	02 months

12. Qualifications & Experience for teaching staff for UG teachers :

(Applicable for direct recruitment but age will be relaxed in case of promotion)

i) **ESSENTIAL:**

- a) A degree in Ayurved from a University established by law or a statutory Board/Faculty/Examining Body of Indian Medicine or its equivalent as recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- b) A Post-graduate qualification in the subject/specialty concerned included in the schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.

ii) **EXPERIENCE:**

a) For the Post of Professor:

Total teaching experience of **ten** years in concerned subject is necessary out of which there should be **five** years teaching experience as Reader/Associate Professor In concerned subject.

b) For the Post of Associate Professor (Reader):

Teaching experience of **five** years in concerned subject. (Reader will be treated as Associate Professor).

- For the Post of Asst. Professor (Lecturer): (age not exceeding 40 years).
 No teaching experience is required. Lecturer will be treated as Asst. Professor.
- d) Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal/Dean/Director):

The qualification and experience prescribed for the Post of Professor shall be essential for these Posts.

Note:- In absence of the candidate of Post-graduate qualification in concern subject the candidate of the following subjects as mentioned against them shall be eligible for the post of Lecturer/Asstt. Professor:-

Speciality required	Name of the allied subject.
Swastha Vritta	1. Kayachikitsa
2. Agadtantra	2. Dravyaguna/Rasashastra
3. Rog Vigyan	3. Kayachikitsa
4) Rachna Sharir	4. Shalya
5. Kriya Sharir	5. Samhita Siddhant
6. Shalakya	6. Shalya
7. Panchkarma	7. Kayachikitsa
8. Balroga	8. Prasuti & Striroga / Kayachikitsa
9. Kayachikitsa	9. Manasroga
10. Shalya	10. Nischetana evam Ksha- kirana

- a. The above provision of allied subject will be allowed for five years.
- b. The teacher(s) who had been considered eligible in the past on the basis of previous Regulations shall not be considered ineligible on the basis of amendment.

13. Appointment of Examiner in Avurved:

No person other than Regular/Retired teacher with minimum eight years teaching experience in the concerned subject shall be considered eligible for an examiner.

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy. [ADVT. III/4/124/12/Exty.]

Note: The Government of India has sanctioned these Regulations *vide* letter No. V.12013/22/2011-EP (IM-2) dated 5-3-2012.